

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक: आर0टी0ई0ए0ए0ए0-प्रवेश (तृतीय चरण)/ 35819-26

/2024-25

दिनांक- 05.03.25

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,

KANPUR PUBLIC SCHOOL CHAKERI, KANPUR PUBLIC SCHOOL CHAKERI CHAKERI MDD 1 KM CHAKERI AIRPORT

KANPUR NAGAR

विषय: शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के बच्चों का कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक आर0टी0ई0/न0प्र0-02/5623/2024-25 दिनांक 18 सितम्बर 2024 के भाग से शासनादेश संख्या 582/79-5-2016-29/2009 टी0सी0-11 दिनांक-03 मार्च, 2016 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को गैर सम्बन्धित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में सम्बन्धित कक्षा की कुल क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश कराये जाने के प्राविधान के तहत ऑनलाइन आवेदन एवं लॉटरी/प्रवेश हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

जिसके क्रम में जनपद कानपुर नगर के नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में तृतीय चरण में प्रवेश हेतु वेबसाइट (nc25.upsde.gov.in) पर दिनांक 19.02.2025 तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सत्यापनोपसन्ना दिनांक 24.02.2025 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से जनपद कानपुर नगर हेतु पंजीकृत बच्चों को उनके द्वारा वांछित विद्यालयों में से एक विद्यालय आवंटित किया गया। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश हेतु सम्बन्धित बच्चों की सूची का जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

विद्यालय को आवंटित निम्न विवरणानुसार छात्र/छात्रा का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश लेना सुनिश्चित करे साथ-साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित छात्र/छात्रा के अभिभावक से प्रवेश सम्बन्धित मूल अगिलेखों एवं अभिभावक के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति का मिलान कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखे तथा एक प्रति तत्काल प्रवेश दिये जाने की सूचना के साथ सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करे।

S.No.	Registra. ID	Student Name	Father Name	Class	Block
639	294846	YASH GAUTAM	SURAJ KUMAR	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR
640	308562	SHIVAY SINGH	SOORAJ SINGH	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR
641	311409	SHREYANSH	SATISH KUMAR	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR
642	325553	ANSH KUMAR	ANKIT KUMAR PAL	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR
643	327587	ANIK	MUNISH PRAJAPATI	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR
644	349799	RUDRANSH GUPTA	SANJEEV GUPTA	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR
645	363854	SHAURYA	DINESH SAHAY	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR
646	364212	VEDANSHI SINGH	RAM SINGH	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR

उपरोक्तानुसार आवंटित बच्चों का प्रवेश विद्यालय में न लिये जाने की दशा में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) तथा शासनादेश संख्या 3087(1)/79-5-2012-29/09 टी0सी0-11 दिनांक 3 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या-538/79-6-2013 शिक्षाअनुभाग लखनऊ-6 दिनांक-20 जून 2013 एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में उपरोक्तानुसार प्राविधानित विधिक एवं दण्डव्यक्त कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

(सुरजीत कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पू0सं0 व दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर।
4. शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
5. मण्डलीय सहा0शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर मण्डल कानपुर।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार छात्र-छात्रा का आवंटित विद्यालय में तत्काल प्रवेश कराते हुए विद्यालयवार सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।
7. सम्बन्धित छात्र/छात्रा के अभिभावक को सूचनाार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक: आर0टी0ई0एवर-प्रवेश (द्वितीय चरण)/ 30/UP-51 /2024-25 दिनांक- 29.1.25

प्रदन्धक/प्रधानाचार्य,

KANPUR PUBLIC SCHOOL CHAKERI, KANPUR PUBLIC SCHOOL CHAKERI CHAKERI MOD 1 KM CHAKERI AIRPORT
KANPUR NAGAR

विषय:-शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक आर0टी0ई0/न0प्र0-02/5623/2024-25 दिनांक 18 शितम्बर 2024 के माध्यम से शासनादेश संख्या 582/79-5-2016-29/2009 टी0सी0-11 दिनांक-03 मार्च, 2016 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को गैर सहायक माध्यम प्राप्त निजी विद्यालय की कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में सम्बन्धित कक्षा की कुल क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश करने जाने के प्रावधान के तहत ऑनलाइन आवेदन एवं लॉटरी/प्रवेश हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

जिसके क्रम में जनपद कानपुर नगर के नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु वेबसाइट (rte25.upsdc.gov.in) पर दिनांक 19.01.2025 तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सत्यापनोपरान्त दिनांक 24.01.2025 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से जनपद कानपुर नगर हेतु पंजीकृत बच्चों को उनके द्वारा वांछित विद्यालयों में से एक विद्यालय आवंटित किया गया। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश हेतु चयनित बच्चों की सूची का जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

विद्यालय को आवंटित निम्न विवरणानुसार छात्र/छात्रा का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश लेना सुनिश्चित करें, साथ-साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित छात्र/छात्रा के अभिभावक से प्रवेश सम्बन्धित मूल अभिलेखों एवं अभिभावक के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति का मिलान कर उसकी एक प्रति अपने पास संरक्षित रखें तथा एक प्रति तत्काल प्रवेश दिये जाने की सूचना के साथ सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

S.No.	Registra. ID	Student Name	Father Name	Class	Block
1670	203517	UNNATI GUPTA	VIJAY SHANKAR GUPTA	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR
1671	250019	ANANYA KUSHWAHA	RAJU KUSHWAHA	PRE PRIMARY	SADAR BAZAR

उपरोक्तानुसार आवंटित बच्चे का प्रवेश विद्यालय में न लिये जाने की दशा में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) तथा शासनादेश संख्या 3087(1)/79-5-2012-29/09 टी0सी0-11 दिनांक 3 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या-538/79-6-2013 शिक्षाअनुयाय लखनऊ-6 दिनांक-20 जून 2013 एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में उपरोक्तानुसार प्रावधानित विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी, जिसका सम्बन्धित उत्तरदायित्व आपका होगा।

(सुरजीत कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ0सं0 व दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
5. मण्डलीय सहायशिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर मण्डल कानपुर।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार छात्र-छात्रा का आवंटित विद्यालय में तत्काल प्रवेश कराते हुए विद्यालयवार सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।
7. सम्बन्धित छात्र/छात्रा के अभिभावक को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।